# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

| अपील संख्या | प्रवेश तिथि | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|
| 12/22/2018 | 20—03—2018 | 17—01—2019 |

01—रोशनलाल पुत्र लल्लुराम जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम न्याणा, तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर राज।

अपीलाण्ट

बनाम

01—नायब तहसीलदार गोविन्दगढ़, जिला अलवर राज।

रेस्पौडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय नायब तहसीलदार गोविन्दगढ
दिनांक 21.02.2018 अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व
अधिनियम प्रकरण संख्या 55/2017

उपस्थितः—

01—श्री कैलाश चन्द शर्मा —वकील अपीलाण्ट

—ःनिर्णयः—

अपीलान्ट ने यह अपील नायब तहसीलदार गोविन्दगढ के आदेश दिनांक 21.02.2018 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम न्याणा की सरकारी गै0मु0 रास्ता भूमि के आराजी खसरा नम्बर 690/1.08 बीघा में से 34X10 वर्गफुट पर अवैध कब्जा करने पर की गई पैनल्टी से व्यथित होकर पेश की गई है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम न्याणा की सरकारी गै0मु0 रास्ता भूमि के आराजी खसरा नम्बर 690/1.08 बीघा में से 34X10 वर्गफुट पर कब्जा करने की रिपोर्ट दिनांक 18.12.2017 को पटवारी द्वारा अपीलांट को अतिक्रमी मानकर बिना सुने लगान से दण्डित किया। अपीलांट को पश्चातवर्ति अतिक्रमी माना है जबकि पूर्व में अपीलांट को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की सजा व पैनल्टी से आरोपित किया गया। अतः अपीलार्थी को पैनल्टी से मुक्त किया जावे।

पत्रावली का परीक्षण किया गया व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर होता है कि नायब तहसीलदार गोविन्दगढ द्वारा निर्णय करते समय निर्णय मे अतिक्रमित रकबा 34.10 वर्गफुट दर्शाया है जबकि उनकी मौका रिपोर्ट पत्रांक 137 दिनांक 13.04.2018 एवं पटवारी रिपोर्ट दिनांक 18.12.2017 के अनुसार अतिक्रमित रकबा 34X10 वर्गफुट (340 वर्गफुट) है। अपील अपीलांट इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि नायब तहसीलदार गोविन्दगढ मौके अनुसार पैमाईश कर नक्शा ट्रेस बनाकर अतिक्रमी के अतिक्रमण को स्केच पेन से अंकित कर न्यायोचित आदेश पारित करें। वकील अपीलांट को हिदायत दी जाती है कि वो दिनांक 04.02.2019 को नायब तहसीलदार गोविन्दगढ के न्यायालय में उपस्थित होवें। नियत दिनांक को उपस्थित नहीं होने पर अपीलांट की तामील मानी जावेगी।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 17—01—2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओ0पी0जैन)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)